



हिंडौन सिटी

Rashtradoot

फोन:- 230200, 230400 फैक्स:- 07469-230600

वर्ष: 17 संख्या: 261

प्रभात

हिंडौन सिटी, शुक्रवार 25 जुलाई, 2025

पो. रजि. SWM-RJ-6069/2017-18

पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

कल तक 52 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से कटने की बात थी

**आज चुनाव आयोग ने यह आंकड़ा
बढ़ाकर 68 लाख कर दिया है**

- रेपु मित्तल -

- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -
नई दिल्ली, 24 जुलाई। इंडिया
गठबंधन मोदी सरकार और चुनाव
आयोग के खिलाफ आक्रोशित है, और
ऐसे में विहार का एस आई आर (संस्कृत
इंसैक्यरीजन) मुझ आने वाले दिनों
में संसद में बड़ा मुद्दा बनें जा रहा है।

इंडिया गठबंधन चाहता है कि
कांग्रेस केन्द्र सरकार पर दबाव डाले कि
वह इस सत्र के दौरान इस मुद्दे पर चर्चा
करए।

लेकिन सूची का कहना है कि गैर-
सरकारी माध्यमों एवं जैनों के जरिए
सरकार ने यह संकेत दे दिया है कि वह
इस पर चर्चा नहीं कर सकती, क्योंकि
सरकार इस मामले में शामिल ही नहीं
है। पूरा मार्ग चुनाव आयोग से जुड़ा
है, जो एक तरंग संवेदनिक संस्था है,
और सरकार इसके नाम पर अधिकार
है और नहीं जबाबदेह।

आरजेन्डे नेता जैनस्टी यादव ने
विहार चुनावों का बहिकार करने का
मुकाबला दिल्ली ब्यूरो-

- यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि पिछले बिहार विधानसभा
चुनाव में जियरी एनडी व महागठबंधन में कुल सोलह
लाख वोटों का अंतर था।
- विपक्ष के एक वरिष्ठ नेता का कहना है, अगर विपक्ष ने
यह मुझ पुरजोर ढंग से अभी नहीं उठाया तो चुनाव
आयोग मतदाता सूची से नाम काटने का परीक्षण
आसाम, पश्चिमी बंगाल और फिर उत्तर प्रदेश में
दोहरायेगा।
- अतः कांग्रेस के सहयोगी दलों के नेताओं में ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव आदि के दिलों को
काफी उद्दीपित कर रहा है।
- सरकार की सोच है कि अगर विपक्ष को कुछ शिकायत
व आशंका है तो विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट/चुनाव आयोग
के समक्ष जाना चाहिए। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र
संवैधानिक संस्था है, किसी भी तरह से सरकार के
अधीन काम नहीं करता। अतः सरकार किसी भी तरह
चुनाव आयोग के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं कर सकती।

फ्रैंसला इंडिया गठबंधन को सामूहिक लग सकता है, क्योंकि इस पर गंभीर
रूप से लोगों का चाहा होता है, और इसमें अभी समय चाहा होता है।

जो बात विपक्ष के लिए चिंता का
विषय बन गई है, वह यह है कि कल¹
चुनाव आयोग ने इससे प्रभावित
मतदाताओं की संख्या 52 लाख बढ़ाई
थी, लेकिन यह आज बढ़कर 68 लाख
हो गई है। इस आकड़े में लोग शामिल
हैं, जो स्थानांतरित हो चुके हैं, जो मर
चुके हैं, जिनके नाम दो जगह हैं, आदि-

पिछले चुनाव में एनडी और
महागठबंधन को लिये वोटों में मात्र 16
लाख का अंतर था, ऐसे में 68 लाख
वोटों को हटाए जाने की बात विपक्ष के
लिए बास्तव में बेहद गंभीर और
खराकार है।

एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि अगर हम इस मुद्दे पर जरूर नहीं देते हैं, तो
मोदी और शाह को हिम्मत बढ़ायेंगे और
वे अन्य राज्यों, जैसे असम, पश्चिम
बंगाल और उत्तर प्रदेश, में यही रणनीति
अपनाएं।

यही कारण है कि कांग्रेस के कई²
सहयोगी, जैसे ममता बनर्जी, अखिलेश
(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बीसलपुर बाँध का एक गेट खुला

टोक, 24 जुलाई। राजस्थान
में स्थित बीसलपुर डैम के कैमेंट
एयरियों में भारी बर्षा के कारण
प्रबल धारा ने रेत बढ़ाया है और अब
यह डैम नीचे की ओर पानी छोड़
रहा है। पिछले 21 वर्षों में पहली
बार जुलाई के महीने में डैम के गेट
खोले गए हैं, क्योंकि जल स्तर
बहुत अधिक हो गया है। पानी का
स्तर 315.50 आर.एल. मीटर
तक पहुँच गया, जिसके बाद जल निकासी के लिए गेट नंबर 10 को
एक मीटर खोलकर 6000
क्वार्सैक पानी की निकासी की गई

आमजन से नदी के बहाव क्षेत्र में नहीं जाने की अपील की गई है।

है। इस अवसर पर जिला कोलकर
ने कहा कि बीसलपुर बांध पेयजल
के लिए जयपुर, अमरपुर एवं टोक
जिले के लोगों के लिए लाइफ
डॉलन में सबसे पर्यावरणकारी
व्यापार समझौतों में से एक पर हस्ताक्षर
किए हैं।

भारत-ब्रिटेन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट

(एफटीए), जो वर्षों से प्रक्रिया में था,

में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने,

शुरू की बाधाओं को समाप्त करने और

नई दिल्ली और लंदन के बीच अधिक

संबंधों को पुनर्विस्थापित करने की

प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है।

इसका आधिकारिक प्रभाव चौकनि

वाला है। वर्तमान में लगभग 60 अरब

डॉलर के आसपास रहने वाला द्विपक्षीय

व्यापार 2030 तक 120 अरब डॉलर

तक पहुँच सकता है। ब्रिटेन को इससे

हर साल 25.5 अरब पाउडर का लाभ

होने का अनुमान है, जबकि भारतीय

निर्माता और सेवा प्रदाता प्रमुख क्षेत्रों में

महत्वपूर्ण वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं।

समझौता केवल एक व्यापारिक

दोनों दोषों के अधिकारियों द्वारा इसे

समझौता नहीं है, बल्कि यह दो सबसे

ऐतिहासिक बताया जा रहा है। यह

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

भारत-ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से 2030 तक व्यापार दोगुना होगा

**इस एग्रीमेंट के तहत भारत का ब्रिटेन को निर्यात किया
जाने वाला 99 प्रतिशत सामान “इयूटी फ्री” प्रवेश करेगा,
जिससे टैक्सटाइल, जैम्स व जैवलरी, ऑटोमोबाइल
पार्ट्स आदि सैकटर को भारी बढ़ावा मिलेगा**

-सुकमार साह-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 24 जुलाई। प्रधानमंत्री
नरेन्द्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री
कीरा स्टारमर से भारत के उद्यारोकरण के
बाद के इवाहन में सबसे पर्यावरणकारी
व्यापार समझौतों में से एक पर हस्ताक्षर

किए हैं। भारत-ब्रिटेन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट

(एफटीए), जो वर्षों से प्रक्रिया में था,
में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने,

शुरू की बाधाओं को समाप्त करने और

नई दिल्ली और लंदन में बीच अधिक

संबंधों को पुनर्विस्थापित करने की

प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है।

इसका आधिकारिक प्रभाव चौकनि

वाला है। वर्तमान में लगभग 60 अरब

डॉलर के आसपास रहने वाला द्विपक्षीय

व्यापार 2030 तक 120 अरब डॉलर

तक पहुँच सकता है। ब्रिटेन को इससे

हर साल 25.5 अरब पाउडर का लाभ

होने का अनुमान है, जबकि भारतीय

निर्माता और सेवा प्रदाता प्रमुख क्षेत्रों में

महत्वपूर्ण वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं।

समझौता के बाद एक व्यापारिक

दोनों दोषों के अधिकारियों द्वारा इसे

समझौता नहीं है, बल्कि यह दो सबसे

ऐतिहासिक बताया जा रहा है। यह

दोनों दोषों के अधिकारियों द्वारा इसे

समझौता नहीं है, बल्कि यह दो सबसे

ऐतिहासिक बताया जा रहा है। यह

दोनों दोषों के अधिकारियों द्वारा इसे

समझौता नहीं है, बल्कि यह दो सबसे

विचार बिन्दु

जब पैसा बोलता है तब सत्य मौन रहता है। -कहावत

हम देश के नागरिक यह स्वीकार नहीं करेंगे कि विदेशी फर्जी मतदाता भारत के भाग्य विधाता बने

हार में निकट भविष्य में चुनाव होने जा रहे हैं। बिहार में गहन मतदाता पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया चल रही है। चुनाव अक्षुदू-बन्दरगढ़ में है। आयोग के सूत्रों के मुताबिक उचित जाच के बाद लोगों के नाम जो मतदाता करने के अधिकारी पापे से उनके नाम 30 सितंबर 2025 को प्रक्रिया दोनों अनिम्न मतदाता सूची में हो जाएंगे और रहेंगे या किये जायेंगे। यह प्रक्रिया मतदाता सूची को अपडेट (Update) करने के तथा अपैष तथाकथित भवित्वान्वयनों को दूर करने के लिये शुरू की गई है।

अधिकारियों द्वारा गहन मतदाता पुनरीक्षण के दौरान यह पाया गया है नेपाल, बांगलादेश व स्थानीय को सैकड़ों लोगों के नाम मतदाता सूची में है और इनके पास आधार कार्ड, डोमिसइल सर्टिफिकेट और राशन कार्ड जैसे कई प्रकार के प्रधान पर्याप्त हैं ये कागजान गतल तरीके से प्राप्त किये गये हैं। अतः जो नाम 30 सितंबर 2025 को प्रक्रिया दोनों अनिम्न मतदाता सूची से हो सकता है आयोग की सूची में भी जाकरीय वृद्धि लेल एवं रघ-2 गये हैं और उन्होंने जाच की है। आयोग की सूची के नामों के बारे में यह प्रक्रिया उपर्युक्त है। विकल्प 8.10: मतदाता (कार्ड 6.32 कोड) ने अपने ईंडक (एन्यूमरेशन फार्म) जमा करा दिये हैं। 18 लाख यूट बोर्ट्स पाये गये। 7 लाख बोर्ट्स का नाम दो जगह दर्ज ही ताजा समाचार के अनुसार 97: काम पूरा हो चुका है।

चुनाव आयोग ने कुछ दिनों पूर्व यह स्पष्ट किया है कि बिहार के तहत सभी राज्यों की विधान सभाओं की मतदाता सूची की विषय पुनरीक्षण होगा। चुनाव आयोग के अधिकारियों द्वारा गहन मतदाता पुनरीक्षण की जाच हो गई है कि उनका पूरा प्रयत्न हो गया है कि देश की विधेशी नागरिकों से हार्दिक रुक्षता व्यापक हो जाए।

बिहार में वोटर लिस्ट की विशेष गहन समीक्षा चल रही है जो एक वैधानिक प्रक्रिया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय खण्डपीठ के समक्ष इस प्रक्रिया की वैधानिकता को कई रिट-वाचिकाओं में चुनौती दी है। सुनाइ-इके समय इस प्रक्रिया पर रोक लगाने की प्राथमिकता वैधानिकों द्वारा दर्शायी गई है। अन्य विधायिकों द्वारा यह विवाद तर्ज-2 जारी करा रहे हैं।

माननीय कोर्ट के समक्ष दोनों पायों के बहस लग रही है जिसमें कई सर्वोच्चान्वयन व वैधानिक प्रश्न उठाये गये हैं। खत्मन, पारदर्शी औं निष्पक्ष रूप से मतदाता सूचियों की शुद्धिकरण किया जाना चुनाव आयोग का दायित्व है। पिंटीशनसी की ओर से उत्तर प्रक्रिया के विरुद्ध कानूनी अपारित्यों द्वारा उठाई गई है। एक अपारित्य यह उठाइ गई है कि जग भवताना सूची में किसी व्यक्ति का नाम हो जा रहा है तो उसे मतदान करने के बाद वही रोका जाया जाए। यह विवाद तर्ज-2 जारी करा रहे हैं। अन्य विधायिकों द्वारा यह विवाद तर्ज-2 जारी करा रहे हैं।

माननीय कोर्ट के समक्ष दोनों पायों के बहस लग रही है जिसमें कई सर्वोच्चान्वयन व वैधानिक प्रश्न उठाये गये हैं। खत्मन, पारदर्शी औं निष्पक्ष रूप से मतदाता सूचीयों की शुद्धिकरण किया जाना चुनाव आयोग का दायित्व है। पिंटीशनसी की ओर से उत्तर प्रक्रिया के विरुद्ध कानूनी अपारित्यों द्वारा उठाई गई है। एक अपारित्य यह उठाइ गई है कि जग भवताना सूची में किसी व्यक्ति का नाम हो जा रहा है तो उसे मतदान करने के बाद वही रोका जाया जाए। यह विवाद तर्ज-2 जारी करा रहे हैं। अन्य विधायिकों द्वारा यह विवाद तर्ज-2 जारी करा रहे हैं।

संविधान के अनुच्छेद 324(1) के अनुसार निर्वाचन के अधीक्षण (uperintendence), निर्वाचन (Direction) व नियंत्रण (Control) चुनाव आयोग में निहित है। अनुच्छेद 324(1) इस संविधान के अधीक्षण संसद और प्रत्येक राज्य के विधान मंडल के लिये कराये जाने वाले सभी निवाचनों के लिये निवाचन का नामावली तैयार करने का और उन सभी के निवाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियन्त्रण एक आयोग में निहित होगा जिसे संविधान में निवाचन आयोग (Election Commission) कहा जाया है।

इसका अधिकार प्रत्येक नामावली की ओर जारी रखी है वह दो विन्डों पर केन्द्रित है। दूसरा विन्डु है मतदाता का आधार जो केवल भारत के नागरिक को ही प्राप्त है। इसका पूर्ण विवेचन संविधान के अनुच्छेद 326 में किया गया है।

संविधान के अधीक्षण संसद और उपचारपूर्ति ने अपने एक नियन्त्रण में माना है कि चुनाव आयोग को चुनावों के संबन्ध में व्यापालिका, कार्यपालिका व विधायिकों के अधिकार प्राप्त है।

दर्दी यह तो खोकाकरन ही होगा कि चुनाव आयोग संविधान के तहत चुनावों की प्रक्रिया के नियन्त्रण के संबन्ध में एक संवैधानिक संस्था है और नामित होने के कारण उनका यह मूल कर्तव्य है कि वे इस संसद के अधिकार के अनुच्छेद 51(क) में स्पष्ट घोषणा है कि “भारत का प्रत्येक नामावलीक संविधान का विधान का अधीक्षण निर्वाचन (Election Commission) कहा जाये।”

किन्तु भारत की जीवनी के लिये आधारी पर्याप्त है कि जीवनी के अधिकारों को छोड़ने का कोशिश माना जाए।

यह सही प्रतीत होता है कि नागरिकता के बाबत का अधिकार केन्द्र सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन है। चुनाव आयोग केवल यह परीक्षण कर सकता है कि मतदाता क्या भारत का नागरिक है या नहीं। अर्थात् संविधान के भाग-2 में दिये गये आधारों पर परीक्षण कर सकता है कि वे लोगों ने दूसरे दोसों के नागरिक मतदाता के तौर पर एक पूरी जाच की है। उन्होंने जाच की अधिकारीय वैधानिक वृद्धि द्वारा यह विवाद तर्ज-2 जारी करा रहे हैं। अन्य विधायिकों द्वारा यह विवाद तर्ज-2 जारी करा रहे हैं।

दर्दी यह तो खोकाकरन ही होगा कि चुनाव आयोग संविधान के अधीक्षण के अधीकारों की अधिकारों को छोड़ने का कोशिश माना जाए।

यह सही प्रतीत होता है कि नागरिकता के बाबत का अधिकार केन्द्र सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन है। चुनाव आयोग केवल यह परीक्षण कर सकता है कि मतदाता क्या भारत का नागरिक है या नहीं। अर्थात् संविधान के भाग-2 में दिये गये आधारों पर परीक्षण कर सकता है कि वे लोगों ने दूसरे दोसों के नागरिक मतदाता के तौर पर एक पूरी जाच की है। उन्होंने जाच की अधिकारीय वैधानिक वृद्धि द्वारा यह विवाद तर्ज-2 जारी करा रहे हैं। अन्य विधायिकों द्वारा यह विवाद तर्ज-2 जारी करा रहे हैं।

यह सही प्रतीत होता है कि नागरिकता के बाबत का अधिकार केन्द्र सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन है। चुनाव आयोग केवल यह परीक्षण कर सकता है कि मतदाता क्या भारत का नागरिक है या नहीं। अर्थात् संविधान के भाग-2 में दिये गये आधारों पर परीक्षण कर सकता है कि वे लोगों ने दूसरे दोसों के नागरिक मतदाता के तौर पर एक पूरी जाच की है। उन्होंने जाच की अधिकारीय वैधानिक वृद्धि द्वारा यह विवाद तर्ज-2 जारी करा रहे हैं। अन्य विधायिकों द्वारा यह विवाद तर्ज-2 जारी करा रहे हैं।

यह सही प्रतीत होता है कि नागरिकता के बाबत का अधिकार केन्द्र सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन है। चुनाव आयोग केवल यह परीक्षण कर सकता है कि मतदाता क्या भारत का नागरिक है या नहीं। अर्थात् संविधान के भाग-2 में दिये गये आधारों पर परीक्षण कर सकता है कि वे लोगों ने दूसरे दोसों के नागरिक मतदाता के तौर पर एक पूरी जाच की है। उन्होंने जाच की अधिकारीय वैधानिक वृद्धि द्वारा यह विवाद तर्ज-2 जारी करा रहे हैं। अन्य विधायिकों द्वारा यह विवाद तर्ज-2 जारी करा रहे हैं।

यह सही प्रतीत होता है कि नागरिकता के बाबत का अधिकार केन्द्र सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन है। चुनाव आयोग केवल यह परीक्षण कर सकता है कि मतदाता क्या भारत का नागरिक है या नहीं। अर्थात् संविधान के भाग-2 में दिये गये आधारों पर परीक्षण कर सकता है कि वे लोगों ने दूसरे दोसों के नागरिक मतदाता के तौर पर एक पूरी जाच की है। उन्होंने जाच की अधिकारीय वैधानिक वृद्धि द्वारा यह विवाद तर्ज-2 जारी करा रहे हैं। अन्य विधायिकों द्वारा यह विवाद तर्ज-2 जारी करा रहे हैं।

यह सही प्रतीत होता है कि नागरिकता के बाबत का अधिकार केन्द्र सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन है। चुनाव आयोग केवल यह परीक्षण कर सकता है कि मतदाता क्या भारत का नागरिक है या नहीं। अर्थात् संविधान के भाग-2 में दिये गये आधारों पर परीक्षण कर सकता है कि वे लोगों ने दूसरे दोसों के नागरिक मतदाता के तौर पर एक पूरी जाच की है। उन्होंने जाच की अधिकारीय वैधानिक वृद्धि द्वारा यह विवाद तर्ज-2 जारी करा रहे हैं। अन्य विधायिकों द्वारा यह विवाद तर्ज-2 जारी करा रहे हैं।

यह सही प्रतीत होता है कि नागरिकता के बाबत का अधिकार केन्द्र सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन है। चुनाव आयोग केवल यह परीक्षण कर सकता है कि मतदाता क्या भारत का नागरिक है या नहीं। अर्थात् संविधान के भाग-2 में दिये गये आधारों पर परीक्षण कर सकता है कि वे लोगों ने दूसरे दोसों के नागरिक मतदाता के तौर पर एक पूरी जाच की है। उन्होंने जाच की अधिकारीय वैधानिक वृद्धि द्वारा यह विवाद तर्ज-2 जारी करा रहे हैं। अन्य विधायिकों द्वारा यह विवाद तर्ज-2 जारी करा रहे हैं।

यह सही प्रतीत होता है कि नागरिकता के बाबत का अधिकार केन्द्र सरकार के गृह म

